

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 168] No.168]

दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934 DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 157

IN.C.T.D. No. 157

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एवं

मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 13(1) जी.शा. /अ.स.नि. /2006 /5986. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 की उप-धारा (1) के साथ धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रावधान (च) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2012 कहलाएंगे।
 - (2) ये नियम पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।
 - (3) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।
- 2. नियम 5 का संशोधन.—दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 (इसके पश्चात् 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) नियम 5 के उप-नियम (1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
 - "5. जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फार्म आदि :—
 - (1) रिजस्ट्रार को यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जन्म, दत्तक बच्चे का जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण के लिए क्रमश: प्रपत्र सं. 1, 1-क, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन प्रपत्र (रिपोर्टिंग फार्म) कहा जाएगा, में दी जाएगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो रिजस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन प्रपत्रों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा।''
 - 3. नए जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र (1-क) का शामिल होना.— मुख्य नियमावली में, निम्न प्रपत्र, प्रपत्र सं. 1-क-दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र शामिल किया जाएगा :—

3833 DG/2012

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रपत्र सं. 1-व				
ापत्र सं. 1—क दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र विधिक सूचना	दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र नियम 5 देखें सांख्यिकी सूचना इस भाग को अलग कर दिया जाएं और सांख्यिकीय संसाधन के लिए भेजा जाए				
इस भाग को जन्म रिजस्टर में जोड़ा जाए					
नूचक द्वारा मरे जाने के लिए	सूचक द्वारा भरे जाने के लिए				
 जन्म तिथि (यदि ज्ञात हो, जन्म की वास्तविक तारीख लिखें) (अन्यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तिथि लिखें) लिंग: ("पुरुष अथवा स्त्री दर्ज करें, 	14. दत्तक ग्राही पिता का धर्म : (नीचे उपयुक्त प्रविष्टि पर निशान लगाएं) 1. हिंदू 2. मुस्लिम 3. इसाई 4. अन्य धर्म : (धर्म का नाम लिखें) 15. दत्तक ग्राही पिता की शिक्षा का स्तर :				
संक्षिप्त रूप न लिखें)	हि (शिक्षा के पूरे किए गए स्तर की प्रविष्टि करें । उदाहरण के लिए –				
3. बच्चे का नाम: (यदि दत्तक ग्रहण पर नाम बदला गया हो, तो नया नाम लिखें) * माता का नाम:	यदि कक्षा VII तक पढ़ाई की है, लेकिन केवल कक्षा VI पास की है, तो कक्षा VI लिखें) है 16. दत्तक ग्राही माता की शिक्षा का स्तर :				
* माता का नाम: (यदि ज्ञात हों)	(शिक्षा के पूरे किए गए स्तर की प्रविष्टि करें । उदाहरण के लिए – यदि कक्षा VII तक पढ़ाई की है, लेकिन केवल कक्षा VI पास की है,				
* पिता का नाम:	तो कक्षा VI लिखें) 17. दत्तक ग्राही पिता का व्यवसाय :				
(यदि ज्ञात हों)					
. दत्तक—ग्रहण विलेख/आदेश की तिथि और संख्या : . दत्तक ग्राही माता का नाम :	(यदि कोई व्यवसाय न हो तो 'शून्य' लिखें) हैं 18. दत्तक ग्राही माता का व्यवसाय :				
. दत्तक ग्राही पिता का नाम :	हैं 18. दत्तक ग्राही माता का व्यवसाय :				
. दत्तक—ग्रहण विलेख में दर्ज दत्तक ग्राही माता—पिता का पता :	्रि (यदि कोई व्यवसाय न हो तो 'शून्य' लिखें)				
0. दत्तक ग्राही माता-पिता का स्थाई पता :	£				
1* जन्म स्थान					
 दत्तकग्रहण यदि एजेंसी के माध्यम से हुआ हो तो दत्तकग्रहण एजेंसी का स्थान और पता लिखें 	भिय संस्थ				
3. सूचक का नाम और पताः	मी किया है कि किया है कि किया है किया				
(1से 18 तक सभी कालम पूरे करने के बाद, सूचक, तारीख हित यहां हस्ताक्षर करेंगें)	जोर्द स्रो स				
*जैसा मूल जन्म प्रमाणपत्र में उल्लिखित है ।					
तिथः सूचक के हस्ताक्षर अथवा बाएं अगूठे का निशान	हैं हैं (भरे जाने वाले कालम समाप्त हो गए हैं । अब बाई और हस्ताक्षर करें) हैं:				

I make Lite year	रजिस्टार द्वारा भरे जाने के लिए	रजिस्द्रार द्वारा भरे जाने के लिए			
पंजीकरण संख्या.: पंजीकरण यूनिटः शहर / गांव:	पंजीकरण तिथि: जिला:	नाम कोड र जिलाः तहसीलः	पंजीकरण संख्या.: पंजीकरण तिथि: जन्म तिथि:		
टिप्पणी: (यदि कोई हो)	ivel.	शहर/गांव पंजीकरण यूनिट	लिंग: 1. पुरूष 2. स्त्री जन्म स्थानः		
	रजिस्टार का नाम और हस्ताक्षर	A Section Control of	रजिस्द्रार का नाम और हस्ताक्षर"		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, दी. मो. स्पोलिया, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS AND

OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS & DEATHS) NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2012

F. No. 13(1)/VS/DES/2006/5986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with clasue (f) of sub-section (1) of Section 2 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely:—

- Short titles, extent and commencement . (1) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2012.
 - (2) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
 - (3) They shall come into force with immediate effect.
- (2) Amendment of Rule 5. In the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999 (hereinafter referred to as the "Principal Rules") for sub-rule (1) of rule 5, the following shall be substituted, namely: -
 - 5. Form, etc. for giving information of births and deaths. -
 - "(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case may be, shall be in form Nos. 1, 1-A, 2 and 3 for the registration of a birth, birth of an adopted child, death and still birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature / thumb impression of the informant obtained."
- 3. Insertion of New Birth Reporting Form (1-A). In the principal Rules, the following Form, Form No. 1-A Birth Report for Adopted Child shall be inserted, namely:-

Registration No.: Registration Unit: Town/Village: Remarks: (if any)	To be filled by the Registrar	To be filled by the Registrar		
	Registration Date: District:	Name. District: Tahsil: Town/village: Registration Unit:	Code no.	Registration no.: Registration Date: Date of Birth: Sex:1 Male 2. Female Place of Birth:
	Name and Signature of the Registrar			Name and Signature of the Registrar